।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2745 / 12-1. दिनांक, गोपेश्वर, 23/1 /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण थराली।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली घाट मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में क्रोनिक स्लिप जोन के सुरक्षात्मक कार्य हेतु 0.262 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1327घ्4.19ध्1;159द्धघ्2019 दिनांक 31.12.2019

महोदय,

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रदान की गयी है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में दिये गये शर्तो के सापेक्ष धनराशि की मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

1–**शर्त सं0 01** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनरारशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रू0 1210.00 की दर से कुल 1,21,000.00 (रू0 एक लाख इक्कीस हजार) मात्र की धनराशि Ad–hoc कैम्पा कोष में online चालान के माध्यम से जमा की जायेगी।

2. **शर्त सं0 2** के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 2,58,000.00(रू0 दो लाख अठ्ठावन हजार मात्र) मात्र online challan के माध्यम से जमा की जायेगी।

3– **शर्त सं0 3** के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनवद्वता प्रेषित की जायेगी।

4– **शर्त सं0–4** के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 एवं शर्त सं0 02 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Portal के माध्यम से जमा की जायेगी।

अतः उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार पूर्ण अनुपालन आख्या की चार–चार मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA